

**राजस्थान सरकार**  
**कार्यालय निदेशक कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर**

क्र. एफ25 /लेखा /आकाशि /2005-06/179

दिनांक 1-8-11.

समस्त प्राचार्य  
राजकीय स्नातक महाविधालय  
राजस्थान

विषयः— राजकीय महाविधालयों के आन्तरिक अंकेक्षण के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है स्नातक स्तर के राजकीय महाविधालयों के लेखों की आन्तरिक जांच लम्बे समय से बकाया है। लेखों की आन्तरिक जांच निदेशक निरीक्षण विभाग से करवाई जानी है। अतः आपके महाविधालय से सम्बन्धित सूचना निम्न प्रपत्र में 7 दिवस में आवश्यक रूप से प्रेषित करावैं।

क्र. सं.	महाविधालय का नाम	स्थापना का वर्ष	लम्बित आन्तरिक जांच की अवधि	टिप्पणी

नोट :— पूर्व में यदि कालेज शिक्षा विभाग के जांच दलों द्वारा आन्तरिक जांच की गई हो तो बकाया आन्तरिक जांच अवधि उसके आगे की तिथि से गिनी जावै।

भवदीय

मुख्य लेखाधिकारी  
कालेज शिक्षा राजस्थान

क्र. एफ25 /लेखा /आकाशि /2005-06/180 to 186 दिनांक 1-8-11.

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सहायक निदेशक क्षेत्रिय कार्यालय जयपुर /अजमेर /जोधपुर /उदयपुर /कोटा /बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीनस्थ स्नातक महाविधालयों से सम्बन्धित सूचना भिजवाने हेतु प्राचार्य को निदेशित करावै।
2. संयुक्त निदेशक (आयोजना एवं समन्वय) निदेशालय कालेज शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि इसे विभागीय बैंकसाइट पर डिलावाने की व्यवस्था करावै।

मुख्य लेखाधिकारी  
कालेज शिक्षा राजस्थान